कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर

परिपत्र

विषय: सोशल मीडिया और अनौपचारिक माध्यमों से असत्यापित/जाली सूचनाओं के प्रसार को रोकने के संबंध में।

मुख्यालय के परिपत्र स. - 13, पत्रांक 221-Staff (Appt. III)/163-2024 दिनांक 17.03.2026 के क्रम में इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान सोशल मीडिया (जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम) और अन्य अनौपचारिक माध्यमों से प्रसारित होने वाली असत्यापित सूचनाओं की ओर आकर्षित किया जाता है ।

- **प्रामाणिकता:** केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सूचना को ही आधिकारिक माना जाए ।
- **निषेध:** कर्मचारी किसी भी असत्यापित या जाली आधिकारिक संदेश/दस्तावेज को सोशल मीडिया समूहों या व्यक्तिगत रूप से प्रसारित या फॉरवर्ड न करें ।
- **अनुशासनात्मक कार्रवाई:** भ्रामक सूचनाएँ फैलाने को "कदाचार" माना जाएगा। दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** और **CCS (Conduct) Rules, 1964** के तहत सख्त कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

कार्यालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालना करना सुनिश्चित करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन-I

1. व.ले.अ./जी.डी.

(नोटिस बोड पर चस्पा करने हेतु)

2. व.ले.अ./आई.एस.डब्लू.

(वेबसाइट पर अपलोड करवाने एवं समस्त कार्मिकों को ई-मेल द्वारा सूचित करवाने हेतु)